

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015—चैत्र 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-14-2015-2-पांच (08).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) एवं (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. एफ. बी-1-33-2013-2-पांच (23), दिनांक 9 जून, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित होटल के स्थान के लिए उसके कॉलम (4) में दर्शाई गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस होटल बार (एफ. एल.-3) अनुज्ञप्तियों और रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3-ए) अनुज्ञप्तियों के लिए विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	स्थान (2)	होटल की स्थिति (3)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4)
1.	जिला इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर.	(क) नगर निगम क्षेत्र में स्थित होटल (ख) उपरोक्त (क) से भिन्न स्थानों पर स्थित होटल.	रुपये 12,00,000/- रुपये 7,00,000/-
2.	जिला उज्जैन	(क) नगर निगम क्षेत्र में स्थित होटल (ख) उपरोक्त (क) से भिन्न स्थानों पर स्थित होटल	रुपये 9,50,000/- रुपये 6,50,000/-
3.	जिला सागर एवं रीवा	(क) नगर निगम क्षेत्र में स्थित होटल (ख) उपरोक्त (क) से भिन्न स्थानों पर स्थित होटल	रुपये 7,50,000/- रुपये 6,00,000/-
4.	अन्य स्थान एवं जिले	उपरोक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 से भिन्न किसी अन्य स्थानों तथा जिलों में स्थित होटल.	रुपये 6,00,000/-

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3-क) अनुज्ञप्ति के लिए.	(1) बांधवगढ़ (2) टायगर फारेस्ट पार्क, पन्ना (3) नेशनल पार्क, पेंच तथा (4) कान्हा नेशनल पार्क आदि के अतिरिक्त उपरोक्त के संबंध में अधिसूचित अन्य नेशनल पार्क में पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूची में जोड़े गये रिसोर्ट.	रुपये 6,50,000/-
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हेरिटेज होटल, जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हों		रुपये 2,50,000/-
7.	नगर, शहर तथा स्थान जहां केवल मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल बार (एफ. एल.-3) अनुज्ञप्ति हो.		रुपये 3,50,000/-
8.	उपरोक्त अनुक्रमांक 7 से भिन्न मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/निगम के स्वामित्व की इकाईयों में संचालित होटल.		स्थान अनुसार प्राईवेट सेक्टर के होटल के लिये देय लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत.

नोट.—उपरोक्त लायसेंस फीस होटल के एक रेस्तरां एवं रूम सर्विस के लिए देय होगी. होटल में एक से अधिक रेस्तरां होने पर, उनमें मदिरा परोसने के लिए ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त रेस्तरां के लिए (मदिरा का संग्रह एक ही स्थान पर रखते हुए) पृथक् से देय वार्षिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाइसेंस फीस के रूप में प्रभारित की जाएगी.

9. ईको एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थल जो नगर/शहर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होटल.

अनुक्रमांक (1)	ईको एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थल की श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	क-श्रेणी के लिए	रुपये 4,50,000/-
2.	ख-श्रेणी के लिए	रुपये 4,00,000/-
3.	ग-श्रेणी के लिए	रुपये 3,50,000/-

नोट.—नवीन होटल बार (एफ. एल.-3) एवं रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) लाइसेंसों के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस जिस माह में लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, उसे पूर्ण माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जायेगी. नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-14-2015-2-पांच (08).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-14-2015-2-पांच (08), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. B-1-14-2015-2-V-(08).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this department's earlier Notification No. F. B-1-33-2013-2-V-(23), dated 9th June, 2014, the State Government, hereby prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F. L.-3) Licences and Resort Bar (F. L.-3-A) Licences, as shown in column (4) of the Table below for the location of hotel in the corresponding entry in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Location of Hotel (3)	Licence fee per annum (4)
1.	Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior District.	(a) Hotel situated in Municipal Corporation Area.	Rs. 12,00,000/-
		(b) Hotel situated in other than as (a) above.	Rs. 7,00,000/-
2.	Ujjain District.	(a) Hotel situated in Municipal Corporation Area.	Rs. 9,50,000/-
		(b) Hotel situated in other than as (a) above.	Rs. 6,50,000/-
3.	Sagar and Rewa District	(a) Hotel situated in Municipal Corporation Area.	Rs. 7,50,000/-
		(b) Hotel situated in other than as (a) above.	Rs. 6,00,000/-
4.	Other places and Districts.	Hotel situated in any other places and Districts other than as 1, 2 and 3 above.	Rs. 6,00,000/-
5.	For Resort Bar (F. L.-3-A) Licences.	(1) Bandhavgarh (2) Tiger Forest Park, Panna (3) National Park, Pench and (4) Kanha National Park etc. Other than the above notified National Park added Resort on schedule by the Commercial Tax Department as per recommended by the Tourism Department.	Rs. 6,50,000/-

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Heritage Hotel situated in rural areas which are recognized by Tourism Department.		Rs. 2,50,000/-
7.	Town, city and places, where only Madhya Pradesh Tourism Development Corporation is having Hotel Bar (F. L.-3) Licence.		Rs. 3,50,000/-
8.	Hotel run in ownership of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation other than as serial number 7 above.		As per location, for the private sector Hotel, 50% of the payable licence fee.

Note.—Above licence fee payable for the one Restaurant of hotel and room service. Having more than one Restaurant in hotel, for such each additional Restaurant to servings liquor (liquor stored in one place), additional licence fee chargeable 10% of the separately payable annual licence fee.

9. Hotel situated at places identified under eco-adventure tourist which are situated at a distance more than 5 kilometer from the town/city.

S. No.	Category of Place indentified under eco-adventure tourist	Licence Fee per annum
(1)	(2)	(3)
1.	A-Category	Rs. 4,50,000/-
2.	B-Category	Rs. 4,00,000/-
3.	C-Category	Rs. 3,50,000/-

Note.—The annual license fee for New Hotel Bar (F. L.-3) and Resort Bar (F. L.-3A), the month will be considered as a whole month in which the license is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly license fee will be charged 1/12 of the annual license fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it will be charged for the whole year.

(2) This notification shall come into force, from 1st April, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-14-2015-2-पांच (09).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) तथा (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की अधिसूचना क्र. एफ. बी-1-33-2013-2-पांच (24), दिनांक 9 जून, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी

गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर निगम वाले शहर एवं स्थानों पर स्थित रेस्तरां बार (एफ. एल.-2) के लिए उसके (सारणी के) कॉलम (3) में दर्शाए गए अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर निगम वाले शहर एवं स्थान का विवरण (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	जिला इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के नगर निगम क्षेत्र में स्थित रेस्तरां.	रुपये 8,00,000/-
2.	जिला उज्जैन, सागर एवं रीवा के नगर निगम क्षेत्र में स्थित रेस्तरां.	रुपये 7,50,000/-
3.	उपरोक्त से भिन्न नगर निगम वाले अन्य जिलों के नगर निगम क्षेत्र में स्थित रेस्तरां.	रुपये 6,50,000/-
4.	(1) कान्हा किसली (जिला मण्डला) (2) पेंच (जिला सिवनी) (3) बांधवगढ़ (जिला उमरिया) (4) मांडू (जिला धार) (5) पचमढ़ी (जिला होशंगाबाद) (6) मुक्की (जिला बालाघाट) उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा चिन्हित औद्योगिक स्थानों पर स्थित रेस्तरां.	रुपये 2,50,000/-
5.	भोपाल के तालाब में कूज बोट	रुपये 2,00,000/-

नोट.—नवीन रेस्तरां बार (एफ. एल.-2) अनुज्ञप्तियों लिए वार्षिक लाइसेंस फीस जिस माह में लाइसेंस स्वीकृत की है, उसे पूर्ण एक माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जायेगी. नवीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-14-2015-2-पांच (09).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-14-2015-2-पांच (09), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. B-1-14-2015-2-V-(09).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's earlier Notification No. F. B-1-33-2013-2-V-(24), dated the 9th June, 2014, the State Government, hereby prescribes the annual licence fee for Licences as shown in column (3) of the Table below for the Restaurant Bar (F. L.-2) situated in the place and city having Municipal Corporation mentioned in column (2) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Description of place and city having Municipal Corporation (2)	Licence fee per annum (3)
1.	Restaurant situated in Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior District.	Rs. 8,00,000/-
2.	Restaurant situated in Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa District.	Rs. 7,50,000/-
3.	Restaurant situated in other than above Municipal Corporation of another Municipal Corporation District area.	Rs. 6,50,000/-
4.	(1) Kanha Kisli (District Mandla) (2) PENCH (District Seoni) (3) Bandhavgath (District Umariya) (4) Mandu (District Dhar) (5) Panchmari (District Hoshangabad) (6) Mukki (District Balaghat) Other than the above, Restaurant situated at Industrial place schedule by the Commercial Tax Department as per recommended by the Tourism Department.	Rs. 2,50,000/-
5.	Cruise Boat in Bhopal Lake	Rs. 2,00,000/-

Note.—The annual license fee for the New Restaurant Bar (F. L.-2), the month will be considered as a whole month in which the license is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly license fee will be charged 1/12 of the annual license fee on (pro-rata) basis. In the case of renewal, it will be charged for the whole year.

(2) This notification shall come into force, from 1st April, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-14-2015-2-पांच (10).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) तथा (छ) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की अधिसूचना क्र. एफ. बी-1-33-2013-2-पांच(25), दिनांक 9 जून, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में

की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित अनुज्ञप्ति के स्थान के लिए, वाणिज्यिक क्लब बार (एफ. एल.-4-क) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ. एल.-4) के लिए उसके कॉलम (4) में दर्शाए गए अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	अनुज्ञप्ति का स्थान (3)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4)
1.	सिविलियन क्लब बार (एफ. एल.-4)		रुपये 1,00,000/-
2.	वाणिज्यिक क्लब बार (एफ. एल.-4-क) अनुज्ञप्ति	(क) नगर निगम वाले जिलों में स्थित क्लब. (ख) उपरोक्त (क) से भिन्न अन्य जिलों में स्थित क्लब.	रुपये 6,00,000/- रुपये 3,00,000/-

नोट.—नवीन क्लब बार (एफ. एल.-4/एफ. एल.-4-क) अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस जिस माह में लाइसेंस स्वीकृत की गई है, उसे पूर्ण एक माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-14-2015-2-पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-14-2015-2-पांच (10), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. B-1-14-2015-2-V(10).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (g) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this department's earlier Notification No. F. B-1-33-2013-2-V-(25), dated the 9th June, 2014, the State Government, hereby prescribes the annual licence fee for Commercial Club Bar (F. L.-4-A) and Civilian Club Bar (F. L.-4) Licences, as shown in column (4) of the table below for the place of the Licence mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Type of Licence (2)	Place of the licence (3)	Licence fee per annum (4)
1.	Civilian Club Bar (F. L.-4) Licence		Rs. 1,00,000/-
2.	Commercial Club Bar (F. L.-4-A) Licence	(a) Club situated at district having Municipal Corporation. (b) Club situated in another district other than as (a) above	Rs. 6,00,000/- Rs. 3,00,000/-

Note.—The annual license fee for the New Club Bar (F. L.-4/F. L. 4A), the month will be considered as a whole month in which the license is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly license fee will be charged 1/12 of the annual license fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it will be charged for the whole year.

(2) This notification shall come into force, from 1st April, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-13-2015-2-पांच (11).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. बी-1-33-2013-2-पांच (22), दिनांक 9 जून, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, आबकारी शुल्क, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य-वस्तुओं से संबंधित है, उसके (सारणी के) कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	आबकारी-कर-योग्य-वस्तुओं का विवरण (2)	आबकारी शुल्क की दर (3)
1.	देशी मदिरा (25 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा प्लेन).	रुपये 100/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) जब घोषित प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (12 क्वार्ट बोटल अथवा समतुल्य)	
	(क) रुपये 600/- तक	रुपये 115/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) रुपये 601/- से रुपये 800/- तक	रुपये 160/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ग) रुपये 801/- से रुपये 1200/- तक	रुपये 200/- प्रति प्रूफ लीटर
	(घ) रुपये 1201/- से रुपये 1800/- तक	रुपये 250/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ङ) रुपये 1801/- से रुपये 2800/- तक	रुपये 300/- प्रति प्रूफ लीटर
	(च) रुपये 2801/- से रुपये 4000/- तक	रुपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर
	(छ) रुपये 4001/- से रुपये 6000/- तक	रुपये 450/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ज) रुपये 6001/- से रुपये 8000/- तक	रुपये 550/- प्रति प्रूफ लीटर
	(झ) रुपये 8001/- से रुपये 10000/- तक	रुपये 700/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ञ) रुपये 10001/- से रुपये 15000/- तक	रुपये 800/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ट) रुपये 15001/- से रुपये 30000/- तक	रुपये 900/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ठ) रुपये 30001/- एवं अधिक	रुपये 1000/- प्रति प्रूफ लीटर

(1)	(2)	(3)
3.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर	
	(क) ड्राट बीयर	रुपये 25/- प्रति बल्क लीटर
	(ख) उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न बीयर	प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45 प्रतिशत या रुपये 125/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
	(ग) लो-अल्कोहोलिक बिबरेजेस (पिये जाने के लिए तैयार) जिसमें 10 प्रतिशत तक अल्कोहल हो.	प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45 प्रतिशत
4.	मद्य (वाईन)	
	(क) मद्य (वाईन)	रुपये 150/- प्रति पूफ लीटर
	(ख) मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से और मध्यप्रदेश में निर्मित मद्य (वाईन)	शून्य
5.	भांग	
	(क) नीलाम की गई भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए.	रुपये 100/- प्रति किलोग्राम
	(ख) उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों/संस्थाओं के लिए.	रुपये 300/- प्रति किलोग्राम

6. रक्षा सेवा कार्मिकों को प्रदाय की जाने वाली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स द्वारा रम के लिए दी जाने वाली ड्यूटी के 30 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट इत्यादि के लिए दी जाने वाली ड्यूटी के 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी.

स्पष्टीकरण—1. विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट.

स्पष्टीकरण—2. युक्त निर्मितियां, जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हो.

स्पष्टीकरण—3. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर आदि. "रक्षा सेवा कार्मिक" से अभिप्रेत है, ऐसे रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा केन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा केन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं.

7. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. बी-1-13-2015-2-पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-13-2015-2-पांच (11), दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2015

No. B-1-13-2015-2-V-(11).—In exercise of the powers conferred by section 25 read with section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this department Notification No. F. B-1-33-2013-2-V-(22), dated 9th June, 2014, issued in this behalf, the State Government, hereby prescribes the excise duties in so far as they relate to the excisable articles specified in column (2) of the Table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof, with effect from 1st April, 2015 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Description of Excisable Articles (2)	Rate of Excise Duty (3)
1.	Country Spirit (25 degree under proof Spiced Country Spirit and (50 degree under proof Plain Country Spirit)	Rs. 100/- per proof litre
2.	Foreign Liquor (Spirit) for Civilians When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-foreign liquor warehouse price is,	
	(a) upto Rs. 600/-	Rs. 115/- per proof litre.
	(b) Rs. 601/- and upto Rs. 800/-	Rs. 160/- per proof litre.
	(c) Rs. 801/- and upto Rs. 1200/-	Rs. 200/- per proof litre.
	(d) Rs. 1201/- and upto Rs. 1800/-	Rs. 250/- per proof litre.
	(e) Rs. 1801/- and upto Rs. 2800/-	Rs. 300/- per proof litre.
	(f) Rs. 2801/- and upto Rs. 4000/-	Rs. 350/- per proof litre.
	(g) Rs. 4001/- and upto Rs. 6000/-	Rs. 450/- per proof litre.
	(h) Rs. 6001/- and upto Rs. 8000/-	Rs. 550/- per proof litre.
	(i) Rs. 8001/- and upto Rs. 10000/-	Rs. 700/- per proof litre.
	(j) Rs. 10001/- and upto Rs. 15000/-	Rs. 800/- per proof litre.
	(k) Rs. 15001/- and upto Rs. 30000/-	Rs. 900/- per proof litre.
	(l) Rs. 30001/- and above	Rs. 1000/- per proof litre.
3.	Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians	
	(a) Draught Beer	Rs. 25/- per bulk litre
	(b) Beer other than above clause (a)	45 percent of per Case Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 125/- per case, whichever is higher.

(1)	(2)	(3)
	(c) Low-Alcoholic Beverages (Ready to drink) which contains up to 10 percent of Alcohol	45 percent of per Case Ex-Foreign Liquor Warehouse price.
4.	Wines	
	(a) Wines	Rs. 150/- per proof litre.
	(b) Wine made from grapes produced in Madhya Pradesh and manufactured in Madhya Pradesh.	Zero
5.	Bhang	
	(a) For licensees of auctioned retail sale shops of Bhang, Bhang-Ghota and Bhang-Sweets.	Rs. 100/- per kilogram.
	(b) For licensees/institutions other than above clause (a).	Rs. 300/- per kilogram.

6. The Excise Duty of the Indian made foreign liquor issued to the Defence Services personnel shall be charged for (Rum) at the rate of 30 percent and for other Indian made foreign liquor Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt etc. at the rate of 50 percent of duty, payable by the Civilians.

Explanation—1. Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient.

Explanation—2. Malt liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider etc.

Explanation—3. "Defence services" personnel shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organisation and the personnel of the Border Security Force and the personnel of the Indo-Tibetan Border Police and personnel of the Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorised wholesale military canteens.

7. This notification shall come into force, from 1st April, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, Dy. Secy.